

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)**

राजस्व लोक अदालत कॅम्प तखतगढ, तहसील सुमेरपुर  
पीठासीन अधिकारी:- श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं.- 29/2014

दायर तिथि- 23.05.2014

तारीख फैसला- 29.06.2018

**वादीगण:-**

1-सोहनलाल पुत्र हीरारामजी जाति कुम्हार आयु 43 साल


2-कातिलाल पुत्र हीरारामजी जाति कुम्हार आयु 40 साल निवासी तखतगढ तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज0)।

**ब न अ म**

**प्रतिवादीगण:-**

1-चेलाराम पुत्र हीरारामजी जाति कुम्हार आयु 45 साल निवासी तखतगढ तहसील सुमेरपुर जिला पाली जिला पाली(राज0)।

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, 1955 एवं  
सपठित धारा 151 सी.पी.सी.**

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29.06.2018	<p>वादी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण कृषि भूमि खसरा नं. 731, 732, 736 कुल रकबा 9.97 हैक्टर बाबत पूर्व में मूकदमा सं. 52/2014 में राजस्व लोक अदालत कॅम्प तखतगढ में दिनांक 30.06.2017 को उपरोक्त खसरा नं. के बारे में फौतेदगी म्यूटेशन संबंधि कार्यवाही नहीं करने अर्थात वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड व मौका की स्थिति को संबंधित मूल राजस्व वाद 279/08 के निस्तारण होने तक यथावत रखने हेतु पाबंध करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी।</p> <p>राजस्व विविध प्रकरण सं. 29/2014 तखतगढ के खसरा न 731, 732, 736 कुल रकबा 9.97 हैक्टर दोनों प्रकरण एक होने से एवं पूर्व में उपरोक्त खसरा न. में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा चुकि है। अतः दो बार एक ही खसरा नं. पर निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।</p> <p>यह आदेश बरोज आज दिनांक 29.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कॅम्प तखतगढ में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो व मूल वाद पत्रावली के साथ नत्थी हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला पाली</p>